06 3/18

पत्रावली पेश हुई। वकील निगरानीकर्ता श्री अशोक छाबड़ा उपस्थित। रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा द्वारा पूर्व में ही वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका है जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दि० 26.2.18 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया; जो शामिल पत्रावली है। ~~आप~~ रेस्पोंडेंट सं. 2 की तलबी प्राप्त नहीं हुई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने प्रार्थना-पत्र के बिन्दुओं तथा निगरानी के तथ्यों को विवेचित करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा द्वारा प्रकरण सं. 03/16 भगवान ~~*~~ छगन लाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 2 LBA निर्णय दि० 16.5.2017 निर्णीत किया जाकर प्रकरण विकास अधिकारी श्री विजयनगर पं. समिति को रिमाण्ड किया गया था कि "पंचायती राज नियमों के आलोक में पालना की जाकर पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर 90 दिवस में न्यायोचित निर्णय को नियमानुसार ग्राम पंचायत से करावें।"

अनापत्ति दि० 12.06.2017 को ग्राम पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका... हुक्म ... में ...
	2 दबाव के समक्ष प्रस्तुत हों।" उक्त का अर्थ (Interpretation) विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार नहीं निकाल कर आवेदन प्रकरण सीधे ही ग्राम पंचायत को - समाचार की तरह भिजवा दिया गया; जिस पर सरपंच ने निर्णीत कर दिया; जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः निवेदन किया जाकर "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994" की धारा-61 के प्रावधानानुसार पं. समिति की प्रशासनिक स्थापना स्थायी समिति को प्रकरण प्रेषित किया जावे। साथ ही यह भी निवेदन किया कि सरपंच की लम्बी पत्रावली में अभी नहीं हुई है; उसे भी पं. समिति के समक्ष ही सुनवाई कर अंकन किया जावे; लम्बी की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि प्रकरण निर्णय की गलत व्याख्या करने से उत्पन्न हुआ है। रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] जी ने उक्त विधि निगरानीकर्ता के तर्कों का प्रतिवाद करते हुए कथन किया कि आदेश 96 CPC का निर्णय किया जावे। यह प्रकरण विकास की श्रेणी में आता है, निर्णय की [illegible] पालना नहीं की है; अतः रूकावट [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तथा रिकार्ड मुताबिक पक्षान्तर जारी हो चुका है तथा रजिस्ट्री बकाया जा चुकी है अतः प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। मैंने आवेदक की बहस को मनन चिंतन किया, पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया; जिससे स्पष्ट होता है कि विचारण अधिकारी श्री [illegible] ने "राजस्थान पंचायती राज अधि० 1994" का अवलोकन नहीं किया तथा विधिक प्रावधानों की अनभिज्ञता की वजह से प्रकरण सीधे ही निर्णय हेतु सरपंच को प्रेषित कर दिया है; सभी पक्षकारान को [illegible] पंचायत [illegible] होकर विचारण अधिकारी जो कि सामान्य कानूनों के समक्ष तहसीलदार हैं; वे सक्षम न्यायालय था; जिससे प्रकरण गुणावगुण पर निर्णीत होता था तथा सभी पक्षों जिनमें स्थायी ग्राम पंचायत भी शामिल है; को सुनवाई का अवसर देते हुए — प्रकरण निर्णीत करें। उपखण्ड ग्राम पंचायत के निर्णय की पत्रावली

सुनिश्चित करनी थी; जो कि नहीं की गयी।

अतः याचिका को स्वीकार कर प्रथम स्तर पर करते हुए ग्राम पंचायत 24 BH का निर्णय दि० 20.12.17 एतद्द्वारा ग्राम पंचायत 24 BH अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विकास अधिकारी श्री [illegible] जो कि पंचायत समिति की प्रशासनिक स्थायी समिति के सदस्य सचिव भी है को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण को समिति के समक्ष पेश करें जिससे ग्राम पंचायत 24 BH द्वारा अतिक्रमण को नियमित करते हुए कानूनसम्मत कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो, पक्षकार सूचित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
26/3/18